

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:-एफ.4(4)(7)नपा/रानिआ/2018/5706

दिनांक 23/11/2021

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाइडलाईन।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 05.07.2021 को गाइडलाईन जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.11.2021 को कोविड-19 संक्रमण के संबंध में पूर्व में जारी जन अनुशासन दिशा निर्देश को संशोधित किया गया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त जन अनुशासन दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य में वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी गाइडलाईन को भी संशोधित किया गया है। संशोधित गाइडलाईन पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है। आगामी आमचुनावों/उपचुनावों में उक्त गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित की जाए।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों
के निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से
बचाव हेतु गाइडलाईन (Guidelines)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
द्वितीय तल, विकास खण्ड,
सचिवालय, जयपुर

1. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और निर्वाचन की प्रत्येक गतिविधि में नियोजित सभी व्यक्तियों (अधिकारी/कर्मचारी) द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सामान्य दिशा निर्देश :-

- 1) चुनाव प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क (Face Mask) लगाना आवश्यक होगा।
- 2) प्रत्येक कार्य स्थल के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान में "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 3) COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन (Guidelines) की पालना करनी होगी।
- 4) चुनाव कार्य के दौरान उचित दूरी का अनुपालन हो सके इस हेतु चुनाव की प्रत्येक गतिविधि के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथा संभव बड़े हॉल/बड़े कमरे/बड़े परिसर का चयन किया जाये।
- 5) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVMs) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking), चुनाव के लिए मतदान मशीन तैयार करने, मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं रवानगी तथा मतगणना कार्यवाही में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के प्रवेश के समय हाथ समुचित रूप से सेनेटाइज (Sanitize) करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा इसके लिए प्रत्येक स्थल पर सेनेटाइजर (Sanitizer) की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

2. नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer)

- 1) जिला स्तर पर जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (District Nodal Health Officer) पदनामित (Designate) किया जायेगा
- 2) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायत समिति स्तर पर एक ब्लॉक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Block Nodal Health Officer) पदनामित किया जायेगा।
- 3) नगरपालिका चुनाव हेतु प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका के लिए एक-एक तथा नगर निगम के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer) पदनामित (Designate) किये जा सकेंगे।
- 4) जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा सेवा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष स्तर का होगा और अन्य नोडल स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्तर के होंगे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से पदनामित (Designate) किये जायेंगे।
- 5) नोडल स्वास्थ्य अधिकारी COVID-19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु किये गये प्रबन्ध/उपायों को मॉनीटर करेंगे अतः निर्वाचन प्राधिकारियों या प्रशासन द्वारा COVID-19 से संबंधित समस्त प्रबन्ध/उपाय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख एवं जानकारी में किये जायेंगे।

चित्रा
23/11/21

- 6) निर्वाचन में नियोजित सभी व्यक्तियों को संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer) का नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7) यदि किसी स्तर पर COVID-19 से संबंधित उपाय पर्याप्त प्रतीत नहीं हों तो निर्वाचन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि इस तथ्य को संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (Nodal Health Officer) की जानकारी में तत्काल लाया जाये ताकि समय रहते समुचित प्रबन्ध/उपाय सुनिश्चित किये जा सकें। मतदान दलों को इस तथ्य की जानकारी प्रशिक्षण के समय दी जायेगी।

3. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (Electronic voting Machine) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking)

- 1) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVMs) की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) बड़े हॉल में की जाये ताकि जांच (FLC) के दौरान उचित दूरी की पालना सुनिश्चित की जा सके।
- 2) इंजीनियर्स के लिए दोनों वैक्सीन लगाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3) हॉल में हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा इसके लिए सेनेटाइजर (Sanitizer) की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- 4) मशीन (EVMs) की जांच प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क (Face Mask) लगाना एवं ग्लव्स (Gloves) पहनना अनिवार्य होगा।
- 5) प्रथम स्तरीय जांच (FLC) एवं मतदान हेतु मशीन (EVMs) तैयार करते समय उपस्थित होने वाले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों पर भी उक्त उपबंध लागू होंगे।
- 6) चुनाव हेतु मतदान मशीन (EVMs) तैयार करते समय भी उक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

4. नामनिर्देशन-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना (Nomination Process)

- 1) नामनिर्देशन पत्र (Nominations) प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह वाले बड़े हॉल/कमरे का चयन किया जाये ताकि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान उचित दूरी का अनुपालन आसानी से कराया जा सके। निर्वाचन के अगले स्तर की कार्यवाही यथा नाम निर्देशन पत्रों (Nominations) की संवीक्षा, नाम वापस लेने एवं निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के लिए भी उक्त चयनित हॉल/कमरा उपयोग में लाया जायेगा।

दिना
23/11

- 2) नामनिर्देशन पत्र (Nominations) का प्ररूप आयोग की website "sec.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है वहां से प्रिंट लेकर भी उपयोग में लिया जा सकेगा।
- 3) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेंगे।
- 4) बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 5) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में नामनिर्देशन पत्र (Nominations) अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः अभ्यर्थी के साथ केवल एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
- 6) नगरीय निकायों के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र (Nominations) प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है अतः यदि अभ्यर्थी या प्रस्तावक इनमें जो भी लागू हो (as the case may be) के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7) नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए एक समय में एक से अधिक अभ्यर्थी या प्रस्तावक आ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष से बाहर बैठाने की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि उचित दूरी की पालना की जा सके। प्रतीक्षारत व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके आने के समय क्रम के अनुसार हस्ताक्षरित पर्ची दी जायेगी और उनकी बारी आने पर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
- 8) कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में आयोग द्वारा सरपंच एवं पंच पद के चुनाव के संबंध में आदेश क्रमांक 7149 दिनांक 17.09.2020 एवं नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में आदेश क्रमांक 8247 दिनांक 09.10.2020 जारी किए गये हैं। उक्त आदेशों में नियत की गई व्यवस्था यथा अपेक्षित परिवर्तन सहित समस्त प्रकार के निर्वाचनों में अपनाई जाएगी। संदर्भित आदेश इस गार्डलाईन का भाग माना जाएगा जो क्रमशः परिशिष्ट 'A' एवं 'B' पर उपलब्ध हैं।

5. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा

- 1) संवीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेंगे।
- 2) बिना मास्क के संवीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु कक्ष के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 3) संवीक्षा में अभ्यर्थी या प्रस्तावक जो भी लागू हो (as the case may be) के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 4) एक समय में केवल एक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। जिस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जा रही हो उसके सभी

चित्रा
23/11

अभ्यर्थी/प्रस्तावक एक साथ उपस्थित रह सकते हैं लेकिन इस दौरान उनके मध्य उचित दूरी रखी जायेगी और इसका अनुपालन सभी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा में किया जायेगा।

- 5) संवीक्षा के लिए एक साथ एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी एवं अन्य अनुमत व्यक्ति आ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि उचित दूरी की पालना की जा सके। प्रतीक्षारत व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के क्रम से उनकी बारी आने पर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
- 6) संवीक्षा में जिन अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाये जाते हैं और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं उन अभ्यर्थियों को इस आशय की लिखित सूचना (Notice) दी जायेगी कि—

- चुनाव प्रचार के दौरान COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन (Guidelines) की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी।
- COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी व्यक्ति द्वारा इन गाइडलाइन का उलंघन किया जाता है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

6. नाम वापस लेना

- 1) कक्ष में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेगे।
- 2) बिना मास्क के संवीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु कक्ष के प्रवेश द्वार के सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 3) नाम वापस लेने हेतु एक समय में केवल एक अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक, जो भी लागू हो (as the case may be), को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

7. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

- 1) पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू की जायेगी और एक बार में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को बुलाया जायेगा और इस प्रक्रिया का अनुपालन सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के लिए किया जायेगा।

दिनांक
23/11/2021

- 2) पंच एवं सरपंच पद के चुनाव में भी नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे इसके लिए पहले सरपंच पद के अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक दिये जायेंगे एवं इसके पश्चात एक-एक वार्ड के पंच पद के अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक दिये जायेंगे।
- 3) नगरीय निकायों के चुनाव में नाम वापस लेने के बाद दूसरे दिन निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे, इसके लिए एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रस्तावक को बुलाया जायेगा एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। इस प्रक्रिया का अनुपालन सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के लिए किया जायेगा।

8. मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण

- 1) मतदान कार्य में नियोजित किये जाने वाले संभावित कार्मिक/अधिकारियों का टीकाकरण (Vaccination) का डेटा तैयार किया जायेगा। यदि ऐसे कार्मिक/अधिकारियों का टीकाकरण (Vaccination) नहीं किया गया है तो प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने से पूर्व चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष टीकाकरण कैम्प (Special Vaccination Camp) आयोजित कर उनका टीकाकरण (उनको प्रथम/द्वितीय टीका जो भी लागू हो) सुनिश्चित किया जावे।
- 2) मतदान दल में गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाये किन्तु कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रस्त है या नहीं, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिला (Pregnant woman) एवं धात्री मां (Lactating Mother) को मतदान दल में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 3) प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह वाले बड़े हाल/परिसर का चयन किया जाये ताकि प्रशिक्षण के दौरान उचित दूरी का अनुपालन आसानी से कराया जा सके।
- 4) उचित दूरी के अनुपालन के लिए प्रशिक्षण स्थल की क्षमता का ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित रखते हुए प्रशिक्षण के आवश्यकतानुसार एक से अधिक चरण नियत किये जा सकेंगे।
- 5) प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज (Sanitize) किये जायेंगे इसके लिए सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 6) बिना मास्क के प्रशिक्षण स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर एवं परिसर के एक से अधिक अन्य सहजदृश्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 7) मतदान के पर्यवेक्षण के लिए नियोजित जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट/ऐरिया मजिस्ट्रेट के रूप में नियोजित किये जाने के लिए अधिग्रहीत अधिकारीगण के लिए भी यथासाध्य उक्त निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

चित्रा
23/11/2021

9. मतदान सामग्री का वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी

- 1) मतदान सामग्री के वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी के लिए पर्याप्त जगह वाले बड़े हॉल/परिसर का चयन किया जाये ताकि इस दौरान उचित दूरी का अनुपालन आसानी से कराया जा सके।
- 2) उचित दूरी की अनुपालना के लिए मतदान दलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मतदान सामग्री के वितरण का कार्य एवं मतदान दलों की रवानगी आवश्यकतानुसार एक से अधिक सत्रों में या विकेन्द्रीकृत व्यवस्था अपनाते हुए अलग-अलग स्थलों से की जा सकेगी। मतदान सामग्री के वितरण के लिए (i) टोकन जारी कर उनका नंबर आने पर मतदान सामग्री वितरित करने या (ii) प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दल की मेज (table) पर ही मतदान सामग्री वितरण करने के नवाचार (innovative) अपनाये जाये ताकि उचित दूरी की अनुपालना आसानी से हो सके।
- 3) मतदान दल सदस्यों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त मात्रा में मास्क, गलक्स उपलब्ध कराये जाये और प्रत्येक दल के लिए एक लीटर की सेनेटाइजर की बोतल उपलब्ध कराई जायेगी। मास्क, गलक्स एवं सेनेटाइजर की गुणवत्ता एवं विशिष्टता (Quality and Specifications) का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श से किया जायेगा।
- 4) मतदान दल की रवानगी से पूर्व आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलों को चुनाव कार्य/मतदान के दौरान मास्क और गलक्स पहनने एवं समय-समय पर हाथ सेनेटाइज करते रहने के स्पष्ट निर्देश दिये जाये।

10. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किये गये सांविधिक आदेश (Statutory Orders)/ निदेशों के अधीन रहते हुए COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एवं तत्समय प्रभावी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करते हुए अभ्यर्थियों द्वारा केवल मान्य तरीके से चुनाव प्रचार किया जा सकेगा।

11. मतदान के एक दिन पूर्व की मतदान केन्द्र की व्यवस्था

- 1) मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदान बूथ हो सकते हैं अतः मतदान के लिए आने वाले पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजन/वरिष्ठ नागरिकों के खड़े होने के लिए प्रत्येक बूथ के लिए इनकी अलग-अलग तीन पंक्तियों की व्यवस्था यथासंभव सुनिश्चित की जायेगी।
- 2) मतदान केन्द्र/मतदान भवन में स्थित प्रत्येक बूथ के लिये स्थान की उपलब्धता के अनुसार मतदाताओं के खड़े होने के लिए उचित दूरी के अन्तर से गोले बनाये जायेंगे (Earmarking circle)।

चित्रा
23/11/2021

- 3) पंक्ति में निर्धारित गोलों के अतिरिक्त मतदाताओं के एक समय में आने पर उन्हें मतदान केन्द्र से बाहर इन्तजार करने के लिए रखा जायेगा इस स्थान पर भी COVID-19 की गाइडलाइन के अनुसार उचित व्यवस्था की जायेगी।
- 4) मतदान केन्द्र/मतदान भवन के प्रवेश द्वार पर सहजदृश्य स्थान पर COVID-19 की जागरूकता के लिए "No Mask No Entry" का पोस्टर लगाया जायेगा।
- 5) मतदान केन्द्र/मतदान भवन के प्रवेश द्वार पर मास्क, सेनेटाइजर के लिए स्थान नियत कर मास्क, सेनेटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- 6) कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति भी मतदान कर सकता है। इस संबंध में आयोग द्वारा सरपंच एवं पंच पद के चुनाव के संबंध में आदेश क्रमांक 7378 दिनांक 22.09.2020 एवं नगरीय निकायों के चुनावों के संबंध में आदेश क्रमांक 8242 दिनांक 09.10.2020 जारी किए गये हैं। उक्त आदेशों में नियत की गई व्यवस्था यथा अपेक्षित परिवर्तन सहित समस्त प्रकार के निर्वाचनों में अपनाई जाएगी। संदर्भित आदेश इस गाईडलाइन का भाग माना जाएगा। यह आदेश क्रमशः परिशिष्ट 'C' एवं 'D' पर उपलब्ध हैं।
- 7) जिला नोडल स्वास्थ्य अधिकारी (District Nodal Health Officer) द्वारा मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र के अनुसार COVID-19 के सक्रिय केसेज के डेटा की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 8) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन के लिए तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ANM, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं NCC Cadet की सेवाएं ली जा सकेंगी।

12. मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की व्यवस्था

मतदान केन्द्र की स्थापना एवं उसकी उचित व्यवस्था के संबंध में आयोग के जारी निर्देशों के अतिरिक्त COVID-19 के संबंध में निम्न व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी हैं।

A. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक होमगार्ड नियोजित किया जायेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि—

1. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की उचित और पर्याप्त व्यवस्था है।
2. मतदान केन्द्र में व्यक्ति मतदान के लिए ही प्रवेश कर रहा है।
3. प्रवेश के समय उसके मास्क लगा हुआ है।
4. मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व मतदाता ने अपने हाथ सेनेटाइज (Sanitize) कर लिए हैं।
5. पंक्ति में निर्धारित गोलों से अधिक व्यक्ति मतदान केन्द्र प्रवेश नहीं करे बल्कि बाहर निर्धारित स्थान पर अपनी बारी का इंतजार करें।

सिगा
23/11/2021

- मतदान केन्द्र अन्दर मतदाताओं के खड़े होने के लिए उचित दूरी के अन्तर से बनाये गये गोले (Earmarking circle) के अतिरिक्त अन्य मतदाता परिसर में एकत्रित नहीं हो और उचित दूरी की पालना कड़ाई से की जा सके।

B. मतदान बूथ के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी

- मतदान शुरू होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान दल के सभी सदस्य एवं मतदान एजेंट स्वस्थ हैं और उनमें से किसी को Covid-19 के लक्षण नहीं हैं।
- मतदान बूथ पर मतदान दल के सदस्यों एवं मतदान एजेंट के बैठने की व्यवस्था उचित दूरी की पालना करते हुए की जायेगी। यदि स्थान का अभाव हो तो अभ्यर्थियों के एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था कमरे के बाहर इस तरह की जायेगी कि वे अन्दर की कार्यवाही ठीक तरह से देख सके और आवश्यकता होने पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी से संवाद कर सकें।
- मतदान अभिकर्ता अपने हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने के बाद ही स्थान ग्रहण कर सकेगा और यदि बीच में बाहर जाता है तो पुनः हाथ सेनेटाइज करके ही प्रवेश करेगा।
- मतदान अभिकर्ता उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकेगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन की एक डोज आवश्यक रूप से लगी हो।
- मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर आवश्यकतानुसार मास्क इतना नीचे करने के लिए कहा जायेगा जितना इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।
- मतदान अधिकारी के समक्ष एक समय में केवल एक मतदाता को ही खड़े होने की अनुमति दी जायेगी।
- मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान दल के सदस्य और मतदान अभिकर्ता कुछ समय अन्तराल पर या आवश्यकतानुसार अपने हाथ सेनेटाइज करते रहेंगे।
- मतदान के पर्यवेक्षण के लिए नियोजित जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर/ऐरिया मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक मतदान केन्द्र में हाथ सेनेटाइज (Sanitize) करने के बाद ही प्रवेश करेंगे तथा मास्क लगाकर रखेंगे।

C. अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले मतदाता सहायता बूथ पर COVID-19 के संबंध में निम्न व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी हैं।

- मतदान केन्द्र के बाहर आयोग द्वारा निर्धारित दूरी पर ही मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जायेगा/लगाया जायेगा।
- मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

चित्रा
23/11/2021

3. मतदाता सहायता बूथ पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर उपलब्ध रखा जाये इसकी व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्तर पर करेंगे।
4. मतदाता सहायता बूथ पर एक समय में केवल एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उपस्थित होने की दशा में उचित दूरी की पालना करनी होगी।

13. EVM एवं मतदान सामग्री का संग्रहण

- 1) मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था की जायेगी।
- 2) प्रत्येक कार्मिक द्वारा मतदान सामग्री का संग्रहण के दौरान मास्क लगाकर रखना होगा।
- 3) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण के दौरान उचित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 4) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण के प्रत्येक काउन्टर के समक्ष खड़े होने के लिए उचित दूरी के अन्तर से गोले बनाये जायेंगे।
- 5) EVMs एवं मतदान सामग्री का संग्रहण की उक्त समस्त व्यवस्था के दौरान COVID-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बल नियोजित किया जाये।
- 6) उचित दूरी एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

14. मतगणना

- 1) मतगणना के लिए यथा संभव बड़े हाल का चयन किया जाये ताकि उचित दूरी की पालना सुनिश्चित की सके।
- 2) मतगणना स्थल पर यदि पर्याप्त संख्या में बड़े कमरें हैं तो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक समय में एक से अधिक वार्डों की मतगणना अलग-अलग कमरों में की जा सकेगी।
- 3) मतगणना का हाल यदि पर्याप्त बड़ा है और उचित दूरी की पालना करते हुए एक से अधिक वार्ड की मतगणना के लिए पर्याप्त स्थान है तो एक से अधिक वार्डों, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), की मतगणना एक हाल में एक साथ भी की जा सकेगी।
- 4) मतगणना स्थल पर सभी आपतकालीन उपकरणों एवं आवश्यक दवाओं सहित मेडीकल टीम जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ होगा, उपलब्ध रहेगी।
- 5) मतगणना अभिकर्ता उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकेगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन की एक डोज आवश्यक रूप से लगी हो।
- 6) प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइज किये जायेंगे। इसके लिए मतगणना स्थल पर सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

चित्रा
23/11/2021

- 7) बिना मास्क के मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा इस हेतु प्रवेश द्वार के सहजदृश्य स्थान पर "No Mask No Entry" प्रदर्शित किया जायेगा।
- 8) एक बार में जिन वार्डों की मतगणना हो रही है, उनसे संबंधित वार्डों के अभ्यर्थियों/मतगणना एजेन्ट्स को ही मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन अन्य वार्डों के अभ्यर्थियों/मतगणना एजेन्ट्स के प्रवेश के समय भी किया जायेगा।
- 9) अभ्यर्थियों/मतगणना एजेन्ट्स को मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था उचित दूरी का अनुपालन करते हुए इस प्रकार की जाये कि इनके द्वारा कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम आसानी से देखा जा सके।
- 10) मतगणना कार्य हेतु नियोजित कार्मिक एवं रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के दौरान ग्लव्स पहनकर रहेंगे एवं आवश्यकतानुसार या कुछ-कुछ समय अन्तराल पर हाथ सैनेटाइज करेंगे।

नोट:-केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाई।

विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। इन गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट अंकन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव